न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :—श्री नेमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 648/2025
जीसीएमएस नं. :— 2025/774 आरआरसीएमएस 202601125600022

प्रार्थी :—
1. सुनिल पुत्र स्व. नारायणराम जाति मेघवाल निवासी खुड़ेचा तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :—
भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री ओमप्रकाश कच्छवाहा प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :—9/12/2025

''आदेश'' दिनांक : 16/04/2026

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से ग्राम खुड़ेचा पटवार हल्का नानण, भू—अभि.नि. कोसाणा तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व प्रार्थी माता व अन्य की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 416 क्षेत्रफल 0.0968 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 417 क्षेत्रफल 1.5156 हैक्टेयर किस्म बारानी भूमि आई हुई है सबूत मे नकल जमाबन्दी संलग्न पेश है। उक्त वादग्रस्त आराजी का फोतेदगी म्युटेशन स्वीकृत करते समय प्रार्थी नाबालिग था उस समय घर में बोल चाल का नाम सेठाराम पुत्र नारायणराम इन्द्राज कर दिया वर्तमान मे उक्त भूमि में सेठाराम पुत्र नारायणराम इन्द्राज है। जिसको दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का सही नाम सुनिल पुत्र नारायणराम इन्द्राज करने हेतु उक्त रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के विद्यालय रेकर्ड में प्रार्थी नाम सुनील पुत्र नारायणराम है, प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, परिवार कार्ड एवं अन्य समी सरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम सुनील पुत्र नारायणराम दर्ज है इसलिए वादग्रस्त आराजी का रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर प्रार्थी का सही नाम इन्द्राज किया जावें। प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम खुड़ेचां की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 416 क्षेत्रफल 0.0968 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 417 क्षेत्रफल 1.5156 हैक्टेयर किस्म बारानी कृषि भूमि का रेकर्ड दुरूस्त फरमाते हुए

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सेठाराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर सुनील पुत्र नारायणराम इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार पीपाड शहर को आदेशित फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को समन जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम खुड़ेचा के खसरा संख्या 416 व 417 में प्रार्थी का नाम सेठाराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर सुनील पुत्र नारायणराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

हमने पक्षकारान् बहस सुनी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का राजस्व ग्राम खुड़ेचा के खसरा संख्या 416 व 417 में में प्रार्थी का नाम सेठाराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर सुनील पुत्र नारायणराम किये जाने का आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज, तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब का अवलोकन एवं पक्षकारान् बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम खुड़ेचा के खसरा संख्या 416 व 417 में प्रार्थी का नाम सेठाराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर सुनील पुत्र नारायणराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 16/04/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर